षोडश बिहार विधान सभा

पंचम सत्र

दैनिक विवरणिका

संख्या-22

बृहस्पतिवार, दिनांक- 30 मार्च, 2017 ई० ।

माननीय अध्यक्ष श्री विजय कुमार चौधरी की अध्यक्षता में सभा की कार्यवाही प्रारंभ हुई ।

समय : 11.00 बजे पूर्वाह्न से 12.30 बजे अप० तक ।

[1] अन्य चर्चा :-

प्रश्नकाल प्रारम्भ होते ही विपक्ष एवं सत्ता पक्ष के कुछ माननीय सदस्य अपनी-अपनी बातों को कहने के लिए अपने अपने स्थान पर खड़े हो गए ।

आसन से कहा गया कि आप सभी माननीय सदस्यों द्वारा उठायी जा रही बातें महत्वपूर्ण होंगी, किन्तु उसे सही समय पर उठाया जाय तो इसकी महत्ता बनी रहेगी ।

तदोपरान्त सभी माननीय सदस्य अपने-अपने स्थान पर बैठ गए ।

[2] प्रश्नोत्तर काल :-

(i) 02 अल्प सूचित प्रश्न उत्तरित ।
(ii) 14 तारांकित प्रश्न उत्तरित ।
(iii) 01 तारांकित प्रश्न संख्या-क-1284, कृषि विभाग में स्थानान्तरति ।
(iv) 01 तारांकित प्रश्न संख्या-ख-2364, परिवहन विभाग में स्थानान्तरति ।
(v) 01 तारांकित प्रश्न संख्या-2973 स्थगित ।
(vi) 04 तारांकित प्रश्न अपृष्ठ ।
(vii) 36 तारांकित प्रश्न अनागत ।

[3] कार्य स्थगन :-

माननीय सदस्य, श्री संजय सरावगी, श्री मिथिलेश तिवारी, श्री विजय कुमार खेमका, श्री केदार प्रसाद गुप्ता, श्री विद्या सागर केशरी, श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह, श्री अशोक कुमार सिंह, श्री ललन पासवान, श्री श्याम बाबू प्रसाद यादव, श्री विनोद कुमार सिंह, श्री जिवेश कुमार, श्रीमती बेबी कुमारी एवं श्री राणा रणधीर से प्राप्त कार्य स्थगन सूचना के नियमानुकूल नहीं रहने के कारण आसन द्वारा अमान्य किए जाने की घोषणा की गई ।

[4] शून्यकाल :-

शून्यकाल की सूचनान्तर्गत निम्नांकित माननीय सदस्यों द्वारा राज्य की विभिन्न समस्याओं की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया गया :-

(1) श्री अशोक कुमार सिंह
(2) श्री फैसल रहमान
(3) श्री राजेश कुमार
(4) श्री ललन पासवान

(5) श्री अचमित ऋषिदेव
(6) श्री आनन्द शंकर सिंह
(7) श्री मो० नवाज आलम
(8) श्री नीरज कुमार
(9) श्री मो० नेमतुल्लाह
(10) श्री विनोद प्रसाद यादव
(11) श्री समीर कुमार महासेठ
(12) श्री राजेन्द्र कुमार
(13) श्री सत्यदेव राम
(14) श्री महबूब आलम
(15) श्री सुदामा प्रसाद
(16) श्री अत्री मुनी उर्फ शक्ति सिंह यादव
(17) श्री सुबोध राय
(18) श्री मुन्द्रिका सिंह यादव
(19) श्री बिरेन्द्र कुमार सिन्हा
(20) सुश्री पुनम कुमारी उर्फ पुनम पासवान
(21) श्री सीताराम यादव
(22) श्रीमती बेबी कुमारी
(23) श्री संजय कुमार तिवारी उर्फ मुन्ना तिवारी

[5] ध्यानाकर्षण सूचनाएँ :-

माननीय सदस्य, श्री रामदेव राय का शिक्षा विभाग से संबंधित तथा दिनांक 28.03.2017 से स्थगित ध्यानाकर्षण सूचना का उत्तर माननीय प्रभारी मंत्री, शिक्षा विभाग, श्री अशोक चौधरी द्वारा दिया गया ।

(i) माननीय सदस्य, श्री सुबाष सिंह का शिक्षा विभाग से संबंधित ध्यानाकर्षण सूचना अपृष्ठ हुआ ।

(ii) माननीय सदस्य, श्री अमर नाथ गामी एवं अन्य सभासदों का कृषि विभाग से संबंधित ध्यानाकर्षण सूचना को माननीय सदस्य, श्री अमर नाथ गामी द्वारा पढ़ा गया तथा माननीय प्रभारी मंत्री, कृषि विभाग, श्री रामविचार राय द्वारा इसका उत्तर दिया गया ।

[6] सभा मेज पर कागजात का रखा जाना :-

माननीय सभापति, राजकीय आश्वासन समिति, श्री अजय कुमार मंडल द्वारा समिति के 250वें प्रतिवेदन की प्रति को सभा पटल पर रखा गया ।

तत्पश्चात् सभा की कार्यवाही भोजनावकाश तक के लिए स्थगित हुई ।

भोजनावकाश के बाद

(02.00 बजे अप० से 03.51 बजे अप० तक)

(माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

[7] विधायी कार्य :- राजकीय विधेयक :-

(i) **बिहार राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2017 :-**

माननीय प्रभारी मंत्री, शिक्षा विभाग, श्री अशोक चौधरी द्वारा सदन की सहमति से विधेयक सदन में पुरःस्थापित हुआ और विधेयक पर विचार का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया ।

माननीय सदस्य, श्री संजय सरावगी द्वारा 'सिद्धान्त पर विमर्श' का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया एवं पक्ष रखा गया ।

माननीय सदस्य, श्री मिथिलेश तिवारी द्वारा 'जनमत जानने' का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तथा पक्ष रखा गया ।

प्रस्ताव सदन द्वारा अस्वीकृत हुआ ।

माननीय सदस्य, श्री अनिल सिंह द्वारा विधेयक के खंड 4 में संशोधन प्रस्तुत किया गया एवं पक्ष रखा गया ।

संशोधन प्रस्ताव सदन द्वारा अस्वीकृत हुआ ।

विधेयक पर विचार के प्रस्ताव की स्वीकृति के उपरांत खंडशः विचार के क्रम में बारी-बारी से सभी खंड विधेयक के अंग बने ।

माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग द्वारा विधेयक के स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया ।

स्वीकृति के प्रस्ताव पर माननीय सदस्य, श्री नन्द किशोर यादव द्वारा पक्ष रखा गया ।

माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग द्वारा विधेयक के सभी पहलुओं पर विस्तार से पक्ष रखा गया ।

विधेयक सदन द्वारा ध्वनिमत से स्वीकृत हुआ ।

(ii) **पटना विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2017 :-**

माननीय प्रभारी मंत्री, शिक्षा विभाग, श्री अशोक चौधरी द्वारा सदन की सहमति से विधेयक सदन में पुरःस्थापित हुआ और विधेयक पर विचार का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया ।

माननीय सदस्य, श्री संजय सरावगी द्वारा 'सिद्धान्त पर विमर्श' का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया एवं पक्ष रखा गया ।

माननीय सदस्य, श्री मिथिलेश तिवारी द्वारा 'जनमत जानने' का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तथा पक्ष रखा गया ।

प्रस्ताव सदन द्वारा अस्वीकृत हुआ ।

माननीय सदस्य, श्री अनिल सिंह द्वारा विधेयक के खंड 4 में संशोधन प्रस्तुत किया गया एवं पक्ष रखा गया ।

संशोधन प्रस्ताव सदन द्वारा अस्वीकृत हुआ ।

विधेयक पर विचार के प्रस्ताव की स्वीकृति के उपरांत खंडश: विचार के क्रम में बारी-बारी से सभी खंड विधेयक के अंग बने ।

माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग द्वारा विधेयक के स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया ।

स्वीकृति के प्रस्ताव पर माननीय सदस्य, श्री प्रेम कुमार द्वारा पक्ष रखा गया ।

माननीय मुख्यमंत्री द्वारा विधेयक की बारीकियों के बारे में सदन को विस्तारपूर्वक अवगत कराया गया ।

माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग द्वारा विधेयक के सभी पहलुओं पर विस्तार से पक्ष रखा गया ।

विधेयक सदन द्वारा ध्वनिमत से स्वीकृत हुआ ।

(iii) **वित्तीय कार्य :- वित्तीय वर्ष 1981-82, 1983-84, 1987-88, 1991-92, 1996-97, 1997-98, 2003-04, 2005-06 एवं 2014-15 के अधिकाई व्यय विवरण में सम्मिलित अनुदानों की मांगों पर मतदान :-**

माननीय प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग, श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी द्वारा बारी-बारी से अधिकाई व्यय विवरणी में सम्मिलित अनुदान की मांग को सदन में प्रस्तुत किया गया, जो क्रमश: सदन द्वारा स्वीकृत हुआ ।

(iv) **बिहार विनियोग अधिकाई व्यय (1981-82, 1983-84, 1987-88, 1991-92, 1996-97, 1997-98, 2003-04, 2005-06 एवं 2014-15) विधेयक, 2017 :-**

माननीय प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग, श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी द्वारा सदन की सहमति से विधेयक सदन में पुर:स्थापित हुआ और विधेयक पर विचार का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया ।

विधेयक पर विचार के प्रस्ताव की स्वीकृति के उपरांत खंडश: विचार के क्रम में बारी-बारी से सभी खंड विधेयक के अंग बने ।

माननीय प्रभारी मंत्री द्वारा विधेयक के स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया ।

स्वीकृति के प्रस्ताव पर माननीय सदस्य, श्री नन्द किशोर यादव द्वारा पक्ष रखा गया ।

माननीय मंत्री द्वारा विस्तारपूर्वक विधेयक के सम्बन्ध में पक्ष रखा गया ।

विधेयक सदन द्वारा ध्वनिमत से स्वीकृत हुआ ।

(v) **बिहार जमाकर्त्ताओं के हितों का संरक्षण (वित्तीय स्थापनाओं में) (संशोधन) विधेयक, 2017 :-**

माननीय प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग, श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी द्वारा सदन की सहमति से विधेयक सदन में पुर:स्थापित हुआ और विधेयक पर विचार का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया ।

माननीय सदस्य, श्री विजय कुमार सिन्हा द्वारा 'सिद्धान्त पर विमर्श' का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया एवं पक्ष रखा गया ।

माननीय सदस्य, श्री विजय कुमार सिन्हा द्वारा 'जनमत जानने' का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तथा पक्ष रखा गया ।

प्रस्ताव सदन द्वारा अस्वीकृत हुआ ।

विधेयक पर विचार के प्रस्ताव की स्वीकृति के उपरांत खंडश: विचार के क्रम में बारी-बारी से सभी खंड विधेयक के अंग बने ।

माननीय मंत्री, वित्त विभाग द्वारा विधेयक के स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया ।

स्वीकृति के प्रस्ताव पर माननीय नेता विरोधी दल, श्री प्रेम कुमार द्वारा पक्ष रखा गया ।

माननीय मंत्री, वित्त विभाग द्वारा विधेयक पर विस्तारपूर्वक पक्ष रखा गया ।

विधेयक सदन द्वारा ध्वनिमत से स्वीकृत हुआ ।

[8] निवेदन :-

आसन से घोषणा की गयी कि आज के लिए स्वीकृत कुल-54 निवेदनों को सदन की सहमति से संबंधित विभागों को भेज दिए जायेंगे ।

तदुपरांत सभा की बैठक शुक्रवार, दिनांक-31 मार्च, 2017 के 11.00 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित हुई ।

पटना
दिनांक-30.03.2017

राम श्रेष्ठ राय
सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।